

पत्र संख्या-विधि-1(1)-जमानत धारा-8-सी-172-(2007-08)/२२००/०१/०१०९ वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: मार्च, २६ २०१०

--: आदेश ::-

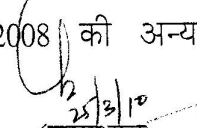
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम २००८ की धारा-१९(३) के अन्तर्गत

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम १९४८ (निरसित) की धारा ८-सी-(३ए) के अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित वस्तुओं के सम्बन्ध में कमिश्नर व्यापार कर यह आदेश दे सकते हैं कि उन वस्तुओं के सम्व्यवहारों के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी फार्म जारी करने के पहले नगद जमानत ली जाय। इसी तरह के प्राविधान उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम २००८ की धारा १९(३) में भी किये गये हैं तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम २००८ की धारा ८१(२) (क) के प्राविधानानुसार उक्त आदेश अभी भी प्रभावी है।

२- आदेश संख्या विधि-१(१)-जमानत धारा-८-सी-१७२-(२००७-०८)/१८०३ दिनांक २१-२-२००८ द्वारा वनस्पति घी के लिए प्रति टन रू० २१००/- की दर से नगद जमा कराने के बाद ही आयात घोषणापत्र / प्रपत्र ३८ जारी किये जाने के आदेश दिये गये। मात्रा यदि पूरे-पूरे टनों में अंकित न होकर कुछ अंश में हो तो उस अंश पर भी समानुपातिक रूप से नगद जमानत अपेक्षित है।

३- चूँकि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम २००८ के अनुसार वनस्पति घी अनुसूची २ के अन्तर्गत आता है। इस पर कर की दर ४ % है। विज्ञप्ति संख्या क०नि०-२-३०७/ग्यारह-९(१०)/०८-३०प्र०अधि०-५-२००८-आदेश-(५७)-२०१० दिनांक १९-२-२०१० के अनुसार इस माल पर १% का अतिरिक्त कर भी देय है। जनवरी २०१० में वनस्पति घी का बाजार भाव औसतन रू० ५५०००/- प्रति मी०टन है। अतः ५ % कर की दर के हिसाब से वनस्पति घी पर करदेयता रू० २७५०/- प्रति टन होती है। ऐसी दशा में उपरोक्त आदेश संख्या विधि-१(१)-जमानत धारा-८-सी-१७२-(२००७-०८)/१८०३ दिनांक २१-२-२००८ को इस सीमा तक संशोधित करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि वनस्पति घी पर प्रति टन रू० २७५०/- की दर से नगद जमा कराने के बाद ही आयात घोषणापत्र / प्रपत्र ३८ जारी किये जायेंगे।

४- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जा रहे हैं। उपरोक्त अंकित आदेश संख्या विधि-१(१)-जमानत धारा-८-सी-१७२-(२००७-०८)/१८०३ दिनांक २१-२-२००८ की अन्य यथा आवश्यक व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।


(चन्द्रानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पू०प०स० एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(१) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।

- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक उर प्रदेश व्यापार कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य व्यापार कर अधिकरण व्यापार कर, 30 प्रो
- (5) विशेष कमिशनर व्यापार कर, 30 प्रो मुख्यालय लखनऊ।
- (6) समस्त एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-1, व्यापार कर उर प्रदेश।
- (7) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य/वि/अनु/शा/अपील) व्यापार कर, उर प्रदेश।
- (8) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, व्यापार कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (9) महालेखाकार, 171 ए अशोक नगर, इलाहाबाद।
- (10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (11) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, व्यापार कर, उर प्रदेश।
- (13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (14) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (15) ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य गाजियाबाद।
- (16) ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(30-न्या0कार्य) लखनऊ/इलाहाबाद।
- (17) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5-5 तथा 10 प्रतियों में।
- (18) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियों।
- (19) समस्त अनुभाग अधिकारी, व्यापार कर, मुख्यालय।
- (20) अध्यक्ष, उर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 185/293 अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ।
- (21) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (22) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
- (23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
- (24) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29 बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
- (25) मर्चेंट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
- (26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 4/180 विशाल खण्ड पी0वी0-17 गोमती नगर लखनऊ।
- (27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
- (28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्डो ऐशबाग रोड, लखनऊ।
- (29) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।
- (30) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्डो निराला नगर, लखनऊ।
- (31) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों/सम्भागीय सलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य) के माध्यम से।
- (32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
- (33) शिव कुमार अरोडा, एडवोकेट, महा सचिव, उर प्रदेश टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0 एस0 कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर।
- (34) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 30 प्रो शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
- (35) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी, बनारस।
- (36) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
- (37) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
- (38) श्री बी0 एन0 राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0 टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी।
- (39) श्री अशोक धवन सी के -24/1 कुंजगली, चौक, वाराणसी।
- (40) श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष पश्चिमी उर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0 नगर।
- (41) श्री पी0 एस0 जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा।
- (42) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) 30 प्रो ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
- (43) आर0 डी0 गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
- (44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0 ज0 पा0 निवासी 60 चाहचन्द इलाहाबाद।
- (45) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उर प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर।
- (46) इन्डियन इण्डो एसो0, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0 नगर।

- (47) संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0(रजि0)52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ ।
- (48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा ।
- (49) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (50) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (51) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (52) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (53) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ ।
- (54) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी0-बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ ।
- (55) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
- (56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
- (57) श्री दिनेश चन्द्र माल, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, उ0 बी0एन0रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (58) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (59) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस ।
- (61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उर प्रदेश टैक्सवार एसोसिएशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)
- (63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद
- (64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी, उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, यू0पी0 ।
- (65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (66) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशिंग, आर0डी0सी0-51, राजनगर, गाजियाबाद ।
- (67) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।

(वाई0एस0 सिंह)

ज्वाइंट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उर प्रदेश ।